न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 17/17

अनवान :

1. छन्नो देवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा .जिला हनुमानगढ़।

वादिया

बनाम

1. मनोहर लाल पुत्र अर्जन जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. परमेश्वरी
3. कलावती
4. लीलावती
5. घोटी

(2 से 5) पुत्रियां बालादेवी पत्नी कासीराम जाति जाट निवासी गालड़ तहसील राजगढ़ जिला हनुमानगढ़।

6. अमरसिंह पुत्र बालादेवी पत्नी कासीराम जाति जाट निवासी गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
7. राजपाल पुत्र भूपसिंह पुत्र बालादेवी पत्नी कासीराम जाति जाट निवासी गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
8. कमला देवी पत्नी भूपसिह पुत्र बालादेवी जाति जाट निवासी गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
9. बंशीलाल पुत्र अमरसिंह जाति नाई निवासी गालड़ तहसील राजगढ़।
10. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डाबड़ी बजरिये शाखा प्रबन्धक
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये भूमिधारी तहसीलदार राजस्व भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक, जोत विभाजन
अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति : वकील श्री विक्रम शर्मा : वादिया

निर्णय दिनांक : 06.10.2017

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि वादीया की खरीद शुदा खातेदारी रोही मोजा अजीतपुरा तहसील भादरा में तादादी 1.799 है0 बारानी स्थित है जो प्रतिवादीगण के साथ संयुक्त खाता में स्थित है खातेदारी का विवरण निम्न प्रकार है : खसरा सं0 792/1 तादादी 2.605 है0 खसरा नं0 799 तादादी 2.656 है0 खसरा सं0 809 तादादी

6.968 है0 इस प्रकार कुल तीनों खसरों में 12.229 है0 बारानी स्थित है उक्त खातेदारी में से प्रतिवादी सं0 2 बालादेवी के नाम से 2.529 है0 प्रतिवादी सं0 3 बंशीलाल के नाम 4.439 है0 दर्ज है तथा प्रतिवादी नं0 1 मनोहरलाल के नाम 5.261 है0 दर्ज है। इसी मनोहरलाल पुत्र अर्जन के हिस्से में से वादीया की खरीदशुदा खातेदारी 1.799 है0 स्थित है इसलिए प्रतिवादी सं0 1 मनोहरलाल का वास्तविक हिस्सा 3.462 है0 बनता है लेकिन सहबन से वादीया वाला हिस्सा भी अभी तक प्रतिवादी नं0 1 के नाम दर्ज है।

वादिया उक्त खातेदारी अपने हिस्से की खसरा सं0 792/1 में नहर से लगते हुये नहर से पूर्वी तरफ मकान बनाकर अपने पति, बच्चों व मवेशियों समेत सन् 2006 से आबाद है ओर पहले खेत को उसके पति व वादीया हिस्सा ठेका पर लेकर काश्त करते थे बाद में दिनांक 16.10.09 को अपनी ढाणी के आस पास की खातेदारी खसरा सं0 792/1 की तादादी 2.605 है0 में से 1.799 है0 का बैयनामा एवज कीमत तीन लाख रूपये प्रतिवादी सं0 1 से अपने पक्ष में तस्दीक रजिस्ट्री करवा लिया और नाप जोख करके कब्जा मौका पर लेकर उसके चारों तरफ अपनी सींव डोल कायम कर ली तथा उसे पहले बारानी काश्त करते थे बाद में उसमें सिंचाई के लिए ट्युबवैल लगा लिया जो इंजन से चलता था वा ढाणी में बिजली का कनैक्शन ले रखा है वादिया के राशन कार्ड, वोट, पहचान कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड गांव सुरतपुरा के बने हुये है।

वादीया ने खेत खरीदा उस वक्त वह टिब्बे का रेतीला था जिसके बाद वादीया व उसके परिवारजनों ने खेत को ट्रैक्टर की सहायता से समतल बनाया और बाहर से चीकनी उपजाउ मिट्‌टी व गोबर की खाद पुरे खेत में करीब 6–6 इंच तक डाली इस प्रकार वादीया के कब्जा काश्त की खातेदारी बाकी खेत से अलग हो गई ओर उसमें अच्छी पैदावार होने लगी जबकि दीगर खातेदारी की भूमि वैसी उपजाउ नहीं बन सकी है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त प्रतिवादीगण सं0 6, 7, 9 ने इकबालदावे पेश किये व प्रतिवादी सं 1 ता 5 की तामील हो चुकी है। प्रतिवादी सं0 1 को बार बार आवाज लगाई गई उपस्थित अपने पर उसके विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सं0 2 ता 5 जबाब पेश नहीं करना चाहते है। प्रतिवादी सं0 8 ने जबाबदावा पेश किया।

बहस वकील वादिया सुनी गई। दौराने बहस वकील वादिया ने कथन किया कि विवादित कृषि भूमि वादिया की क्रयशुदा भूमि है उक्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 से क्रय की थी परन्तु अभी भी प्रतिवादी सं0 1 के नाम ही चली आ रही है। अत : वाद भूमि में वादिया के हकों की घोषणा कर खाता व लगान अलग कायम किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत प्रदर्श 1ए बैयनामा दिनांक 16.10.2009 से ग्राम अजीतपुरा के खाता सं0 437/450 के खसरा सं0 792/1, 799, 809 में संयुक्त खाता की कुल भूमि 12.2290 में वादिया को मनोहरलाल द्वारा अपने हिस्से की 9.700 है0 में से 1.799 है0 बेचान करना साबित है तथा वादिया ने अपने साक्ष्य की ताहिद में जामबदी रोही अजीतपुरा खाता संख्या 437/450 प्रदर्श 2, चित्रप्रति राशन कार्ड 3ए, परिचय पत्र 4ए, चित्रप्रति आधार कार्ड प्रदर्श 5ए, भामाशाह कार्ड चित्र प्रति प्रदर्श 6ए, चित्रप्रति बैक पासबुक प्रदर्श 8ए है। प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर वादिया का वाद साबित होने पर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा अजीतपुरा के खसरा संख्या 792/1 की 2.605 हैक्टर, खसरा सं. 799 की 2.656 हैक्टर, खसरा सं. 809 की 6.968 कुल 12.229 हैक्टर बारानी में वादीया 1.799 हैक्टर की खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं. 1 मनोहरलाल 3.462 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। चुंकि वादभूमि बैक के रहन है इसलिये रहनमुक्त होने के बाद अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। इसीनुसार पर्चा डिक्री तैयार कर सलग्न की जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.10.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ऋषभ जैन)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री ऋषभ जैन आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 17/17

अनवान :

1. छन्नो देवी पत्नी रामस्वरूप जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

वादिया

बनाम

1. मनोहर लाल पुत्र अर्जन जाति कुम्हार निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. परमेश्वरी
3. कलावती
4. लीलावती
5. घोटी

(2–5) पुत्रियां बालादेवी पत्नी कासीराम जाति जाट निवासी गालड़ तहसील राजगढ़ जिला हनुमानगढ़।

6. अमरसिंह पुत्र बालादेवी पत्नी कासीराम जाति जाट निवासी गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
7. राजपाल पुत्र भूपसिंह पुत्र बालादेवी पत्नी कासीराम जाति जाट निवासी गालड तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
8. कमला देवी पत्नी भूपसिह पुत्र बालादेवी जाति जाट निवासी गालड़ तहसील राजगढ़ जिला चुरू।
9. बंशीलाल पुत्र अमरसिंह जाति नाई निवासी गालड़ तहसील राजगढ़।
10. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा डाबड़ी बजरिये शाखा प्रबन्धंक
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये भूमिधारी तहसीलदार राजस्व भादरा।

– **प्रतिवादीगण**

दावा इस्तकरार हक, जोत विभाजन
अन्तर्गत धारा 88, 89, 53 आर.टी.एक्ट.

आज यह वाद मुझ श्री ऋषभ जैन_सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक विक्रम शर्मा की उपस्थिति मे निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वादिया का वाद साबित होने पर घोषणा की जाती है कि रोही मोजा अजीतपुरा के खसरा संख्या 792/1 की 2.605 हैक्टर, खसरा सं. 799 की 2. 656 हैक्टर, खसरा सं. 809 की 6.968 कुल 12.229 हैक्टर बारानी में वादीया 1.799 हैक्टर की खातेदार काश्तकार है तथा प्रतिवादी नं. 1 मनोहरलाल 3.462 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। चुंकि वादभूमि बैक के रहन है इसलिये रहनमुक्त होने के बाद अमल दरामद किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06.10.2017 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(ऋषभ जैन)
R.A.S
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा जिला हनुमानगढ